

राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम

स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर 302005

फोन नः 0141-2228066, फैक्स नः 0141-2228065

ई-मेल : rmsc@nic.in

CIN: U24232RJ2011SGC035067

Website: www.health.rajasthan.gov.in

क्रमांक : प.05(पीएफ)/आरएमएससी/क्यू.सी./2022-23/2436

दिनांक : 30.01.2023

कार्यालय आदेश

M/s Terrace Pharmaceuticals (P) Ltd., 3-B(a), Phase-III, Industrial Area, Sansarpur- Terrace, Distt Kangra (HP)176501 की निविदा क्रमांक F.02(304)/RMSCL/PROCUREMENT/DRUG/NIB-27/2020/1847 दिनांक 14-Oct-2020 के तहत औषधि Cephalexin Cap IP 500 Mg[97] की दरों के न्यूनतम होने के कारण अनुमोदित कर दर अनुबन्ध किया गया था। दर अनुबन्ध के आधार पर फर्म को उक्त औषधि सप्लाय करने हेतु क्रय आदेश क्रमांक - 1026 दिनांक 18.06.2021 जारी किया गया था।

उक्त क्रय आदेश की पालना में सप्लाय की गयी औषधि की विधिक जाँच में Govt. Analyst, Drug Testing Laboratory, Jaipur से प्राप्त रिपोर्ट में उक्त औषधि के बैच (TPTGOV-21195) को Assay & Dissolution Test में फेल होने के कारण अमानक कोटि का घोषित किया गया। इस संबंध में निर्माता फर्म को नोटिस दिया जाकर स्पष्टीकरण मांगा गया।

Govt. Drug Testing Laboratory Jaipur से उक्त बैच (TPTGOV-21195) की रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण को अनुशासनात्मक समिति की बैठक दिनांक 13.12.2022 को आयोजित की गई, में रखा गया। फर्म को सुनवाई के लिये अवसर दिया गया। Govt. Drug Testing Laboratory Jaipur ने औषधि के एक बैच (TPTGOV-21195) को अमानक कोटि का घोषित किया है। फर्म द्वारा अमानक कोटि की औषधि आपूर्ति की गई है जो कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के प्रावधानों एवं भारत सरकार द्वारा जारी की गयी गाइडलाइन व निविदा की शर्त के तहत Not of Standard Quality के साथ-साथ Grossly Substandard की श्रेणी में हैं।

निविदा की शर्त संख्या 19(3) के उल्लंघन के दोषी होने के कारण विवर्जन संबंधी दिशा-निर्देशो (Guidelines for Blacklisting/Debarring) के सम्बन्ध में जारी निर्देश क्रमांक F.5/RMSC/QC/Test/2018-19/952 दिनांक 28/08/2018 के क्लॉज 4.6(1) के तहत निगम की अनुशासनात्मक समिति की अनुशंसा के आधार पर निर्माता फर्म M/s Terrace Pharmaceuticals (P) Ltd., 3-B(a), Phase-III, Industrial Area, Sansarpur- Terrace, Distt Kangra (HP)176501 की औषधि Cephalexin Cap IP 500 Mg[97] को यह आदेश जारी करने की तिथि से 01 (एक) वर्ष के लिए विवर्जित (Debar) किया जाता है। उपरोक्त कार्यवाही पूर्व में जारी किये गये क्रयादेश/क्रय की गई अथवा रीप्लेसमेन्टशुदा प्रश्नगत औषधि, जो गुणवत्ता के मानकों के अनुरूप पाई जाती हैं, पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले की गई है।

अनुपमा जोरवाल
आइ.ए.एस
प्रबन्ध निदेशक

क्रमांक : प.05(पीएफ)/आरएमएससी/क्यू.सी./2022-23/2436

दिनांक : 30.01.2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, हिमाचल प्रदेश।

मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना



11मं ननु नरुडडडः 11
(Government of Rajasthan undertaking)

4. शासन सचरव, चरकतुसा, सुवरथुडु एवड डररवर कलुडडण वरडडड, ररकसुथरन, कडडडड।
5. डररुडन नररदेशक, एन.एच.एम. ररकसुथरन, कडडडड।
6. नररदेशक, डी.एच./रर.सी.एच./एच.ए/ए.ररई.डी.एस./एम.एस.डू/ररई.ई.सी, चरकतुसा एवड सुवर. नररदेशरलड, ररकसुथरन, कडडडड।
7. ररषुधर डररनररडुनरक, डररत, नई दरलुली।
8. ररषुधर नररडुनरक, ररकसुथरन/हररडरकल डुरदेश।
9. नरकडर सहररडक, डुरडनुध नररदेशक, रर.एम.एस.सी.।
10. वरशुषरधरकररी, रर.एम.एस.सी.।
11. डुरडररी अधरकररी, (सडुलरई) रर.एम.एस.सी.।
12. कररुडकररी नररदेशक (डुरकडुडरडुनरुत)/वरतुत/एल/ई.डी.एम एवड सं.नर. (ररई.टी) रर.एम.एस.सी.।
13. सडसुत डुरडररी अधरकररी, कडरल ररषुधर डणुडर, ररकसुथरन।
14. सडसुत चरकतुसा सुवर नरगड, गुकुररत/करल/तडरलनरडु/डरहर/छतुतीसगदु/डरशुचड डंगरल/करनररक/हररररडर/डधुड डुरदेश/डरररररर/कडडू कशुडर।
15. M/s Terrace Pharmaceuticals (P) Ltd., 3-B(a), Phase-III, Industrial Area, Sansarpur- Terrace, Distt Kangra (HP)176501
16. ररदेश डुरतुररवली।

कररुडकररी नररदेशक (कडू सी)

2022-10-02

2022